प्रेस नोट जनपद बिजनौर दिनांक–09.09.2020

आज दिनाक 09-09-2020 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस लाइन सभागार कक्ष में सैनिक सम्मेलन किया गया और सैनिक सम्मेलन के उपरांत क्राइम मीटिंग की गई और क्राइम मीटिंग में जनपद पुलिस के राजपत्रित अधिकारी व सभी थाना प्रभारी व शाखा प्रभारी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा समस्त थाना प्रभारियो को जनता से अच्छा व्यवहार, तत्काल कार्यवाही, अवैध अपमिश्रित शराब का निर्माण/बिक्री/तस्करी, अवैध शस्त्र फैक्ट्री, महिलाओ - बालिकाओ सम्बन्धित अपराध, टॉप-10 अपराधियो के विरुद्ध कार्यवाही, विवेचनाओ का निस्तारण, पैदल गस्त, एण्टी रोमियो, गैंग पंजीकरण, कोरोना संक्रमण आदि के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

दिनांक 08.09.2020 को उ0प्र0 शासन लखनऊ द्वारा दि0 16.08.2020 से 15.09.2020 तक चलाये जा रहे अवैध शस्त्र बरामदगी व अन्य 05 बिन्दुओं के अभियान के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय बिजनौर के निर्देशन में एंव अपर पुलिस अधीक्षक महोदय नगर एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद महोदय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नजीबाबाद के कुशल नेतृत्व में ग्राम गढमलपुर मे बस्ती स्थित बन्द पडे सैलर में अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री मय उपकरण के अभियुक्त नरेश कुमार पुत्र पदम सिंह निवासी अलावलपुर नैनू थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को समय 15.30 बजे पुलिस पार्टी द्वारा गिरफ्तार किया गया है जिसके कब्जे से बने व अध बने तमंचे व देशी रिवाल्वर 32 बोर बरामद की गई है। जिसका विवरण निम्नवत् है। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है अभियोग पंजीकृत करके जेल रवाना किया जा रहा है।

नाम-पता अपराधी

1. नरेश कुमार पुत्र पदम सिंह निवासी अलावलपुर नैनू थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण

1.एक पौना तमंचा 315 बोर

2.पांच तमंचे 315 बोर

3.एक रिवाल्वर 32 बोर व एक अध बनी रिवाल्वर 32 बोर

4.दो अध बने तमंचो 315 बोर व एक अध बना तमंचा 12 बोर

5.चार कारतूस जिन्दा 315 बोर व दो कारतूस जिन्दा 12 बोर

6. तमंचा बनाने के उपकरण आरी,शिंकजा, नौ नाल ,ग्राइडरमशीन , पंखा ,रेगमाल ,चिडासी ,पंखा ,गलाईण्डर,पैचकस, प्लास आदि अन्य उपकरण।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 459/2020 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1.श्री उ0नि0 श्री विजय कुमार थाना नजीबाबाद बिजनौर , 2 श्री प्रवीण कुमार तेवतिया उ0नि0 थाना नजीबाबाद बिजनौर 3. श्री जुगेन्द्र सिंह तेविताय उ0नि0 थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर , 4.का0 280 रवि गिरि थाना नजीबाबाद बिजनौर 5.का0 658 कपिल शर्मा थाना नजीबाबाद बिजनौर. 6. का0 1452 समसपाल थाना नजीबाबाद बिजनौर

अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0563/2019 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट

थाना चाँदपुरः- थाना चाँदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त 1.चीकू कुमार पुत्र प्रीतम सिंह 2. राकेश पुत्र धन सिंह निवासी मोहल्ला काजी जादगान कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर व 3.सलमान पुत्र आबिद 4. गुलबहार पुत्र इंतजार निवासी ग्राम बेला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर अंतर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय एसडीएम कोर्ट भेजा गया।

थाना नगीना देहातः- थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त राजेश पुत्र छज्जू निवासी ग्राम ढकिया बावन सराय थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को 50 लीटर अवैध शराब, अवैध शराब बनाने की उपकरणों भट्टी सहित गिरफ्तार किया गया। मौके पर 1500 लीटर लहन नष्ट किया गया। इस संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा संख्या 251/ 20 धारा 60(2)पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

बैक चैकिंग -पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में समस्त थाना प्रभारी मय फोर्स के सभी बैंकों को चैक कर बैंक में आने वाले लोगों को कोविड 19-से बचाव हेतु मास्क लगाने तथा कैश जमा करने व निकालने के दौरान सोशल डिस्टेसिंग की अपील की गयी।

<u>थाना हल्दौरः-</u> थाना हल्दौर पुलिस द्वारा अभियुक्त फहीम पुत्र अब्दुल कयूम निवासी मोहल्ला मौलवियान कस्बा झालू थाना हल्दौर को अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 249/20 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

<u>थाना हल्दौरः-</u> थाना हल्दौर पुलिस द्वारा लोकेंद्र पुत्र निहाल सिंह निवासी ग्राम खैराबाद थाना हल्दौर को अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध थाना हल्दौर पर मुकदमा अपराध संख्या 248/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया है।